न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (झुन्झुनू)
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 06/2018 (पत्थर गड्डी)

रामकोरी पुत्री झाबर पत्नी रामदेव जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं(राज) हाल आबाद डूडवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर(राज.)

–प्रार्थीया/आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं(राज.)

–अप्रार्थी/अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र : अं.धारा 111, 128 रा0 भू0 रा0 अधि0 1956

निर्णय

निर्णय दिनांक 27.12.2018

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम कोलसिया पटवार हल्का कोलसिया की सरहद में नए खाता संख्या 142 की भूमि ख.न. 408 रकबा 0.03है0, ख.न. 409 रकबा 4.86है0, ख.न. 1426/0.10है0 स्थित है। न्यायालय के विभाजन वाद की डिक्री अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1791/409 रकबा 0.80है0, ख.न. 1792/409 रकबा 0.316है0 प्रार्थीया की स्वतंत्र खातेदारी काश्तकारी की भूमि है अर्थात प्रार्थीया उक्त खसरा नम्बरान की भूमि की काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि का विधिअनुसार सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार नवलगढ के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया की खातेदारी काश्तकारी की भूमि का विधि अनुसार सीमाज्ञान हो चुका है तथा सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर पत्थरगड्डी करवाना चाहती है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी अनावेदक की गई। अतः बहस पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम कोलसिया पटवार हल्का कोलसिया की जमाबंदी सम्वत 2067–2070 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 408 रकबा 0.0300है0, 409 रकबा 4.86है0 मे से खसरा नम्बर 1791/409/0.80है0, 1792/409/0.0316 किता 2 कुल रकबा 0.8316 की खातेदारी रामकोरी पुत्री झाबर पत्नी रामदेव जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार नवगलढ ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की भूमि का पत्थरगड्डी करने के आदेश करने पर कोई आपत्ती नही है।

इस संबंध में प्रस्तुत फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार पटवारी हल्का द्वारा ग्राम कोलसिया के ख.न. 1791/409 रकबा 0.80है0 व ख.न. 1792/409 रकबा 0.0316है0 का सीमाज्ञान प्रार्थीया रामकोरी पुत्री झाबर पत्नी रामदेवा जाति जाट निवासी कोलसिया की उपस्थिति में नक्शा लट्ठा के अनुसार सीमाज्ञान कर निशानात् बयाते गये। चूंकि पूर्व में आवेदक की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान राजस्व कर्मियों द्वारा करवाया जा चुका है आवेदक सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगड्डी कराना चाहता है। अतः आवेदक का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण स्वीकर किया जाता है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र पत्थर गडी स्वीकार किया जाता है। ग्राम कोलिसया की भूमिख. न. 1791/409 रकबा 0.80है0 व ख.न. 1792/409 रकबा 0.0316है0 का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आवागमन का प्रचलित रास्ता/सडक इस आदेश

से बाधित नही होगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश आवेदक से नियमानुसार शुल्क जमा राज लिया जाकर उक्त भूमि की पत्थरगडी करवाई जावे। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.12.2018 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ